W/R

16

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।

निगरानी/एलआर/6758/2011/जिला भरतपुर

1– श्रीमती रतनी पुत्र श्रीचन्द पत्नी रामभरोसी
2– श्रीमती रेखा उर्फ भुल्लो पुत्री श्रीचन्द पत्नी शम्भूदयाल
दोनो जाति मीणा निवासी ग्राम चक खेडली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी उकरौद तहसील महुआ जिला भरतपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1– श्रीमती ममता बेवा चतरसिंह जाति मीना निवासी ग्राम चक खेडली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2– कुमकुम पुत्री चतरसिंह नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती ममता बेवा चतरसिंह जाति मीना निवासी चक खेडली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3– गिर्राजसिंह) पुत्रगण श्रीचन्द जाति मीना निवासी खेडली गूजर
4– समन्दरसिंह) तहसील वैर जिला भरतपुर।
5– अतरसिंह)

...अप्रार्थीगण

6– श्रीमती मुक्ति पुत्री श्रीचन्द पत्नी कुंवरसिंह जाति मीना निवासी ग्राम चक खेडली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी खातीपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
7– श्रीमती चतरादेवी पुत्री श्रीचन्द पत्नी फूलसिंह जाति मीना निवासी ग्राम चक खेडली गूजर तहसील वैर जिला भरतपुर हाल निवासी ककरूआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

...तरतीबी अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री शैलेन्द्र कुमार राणा, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से ।
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

दिनांकः 20–12–2011

निर्णय

1– यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (जिसे एतद्पश्चात 'अधिनियम, 1956' से सम्बोधित किया जावेगा) की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 60/10 में पारित निर्णय दिनांक 13–9–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार वैर द्वारा एक नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26—10—1994 मृतक श्रीचन्द की विरासत के आधार पर मृतक खातेदार के समस्त वारिसान को सुने बिना केवल मृतक के पुत्रों व बेवा के नाम स्वीकृत किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3—8—2010 से जरिये मृतक खातेदार के समस्त वारिसानों की जांच कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद मृतक की विरासत का नामान्तकरण पुनः तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार वैर को प्रतिप्रेषित किया गया। अतिरिक्त कलेक्टर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा एक अपील सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13—9—2011 से अप्रार्थीगण की अपील को स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 03—08—2010 को अपास्त करते हुये तहसीलदार द्वारा निर्णीत नामान्तकरण संख्या 196 को बहाल रख दिया। उक्त आदेश दिनांक 13—09—2011 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा यह आधार लिया है कि:—

(1) तहसीलदार बैर द्वारा मृतक श्रीचन्द के समस्त वारिसान की जांच करे बिना ही नामान्तकरण संख्या 196 स्वीकृत कर लिया था जिसे अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर द्वारा सही ही निरस्त किया था। तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारान को सुन कर ही नामान्तकरण भरना व स्वीकृत करना चाहिये था।

(2) विरासत का नामान्तकरण भरने व स्वीकृत करने का अधिकार 45 दिन तक ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 26—10—94 को सीधे ही अपने स्तर से नामान्तकरण तस्दीक करके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया गया है।

(3) मृतक श्रीचन्द के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु आदेश देने का अतिरिक्त कलेक्टर

COMPARED BY

का आदेश पूर्णतः विधि अनुरूप और क्षेत्राधिकार में था, जिसमें अवांछित हस्तक्षेप कर सम्भागीय आयुक्त द्वारा गंम्भीर विधिक त्रुटि की है।

(4) मृतक श्रीचन्द मीणा जाति के थे और अतिरिक्त कलेक्टर के निर्णय को सम्भागीय आयुक्त के समक्ष चुनौती देने का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अधिकार (locus) प्राप्त नहीं था, क्योंकि मीणा जाति में लड़कियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी थी, जबकि अप्रार्थीगण 1 व 2 भी मीणा जाति स्वयं स्त्रियां ही हैं, अतः उनके द्वारा लिये गये आधार अनुसार ही उन्हें भी अपील करने का अधिकार नहीं था।

उपरोक्त आधारों पर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–09–2011 को निरस्त किया जावे और श्रीचन्द मृतक के समस्त वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश दिये जावें।

3– प्रार्थीगण और केवियटकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

4– प्रार्थीगण की तरफ से निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विद्वान अभिभाषक श्री शैलेन्द्र राणा का अभिकथन है कि तहसीलदार द्वारा मृतक के सभी वारिसान को सुने बिना ही नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26–10–1994 स्वीकृत कर दिया जबकि 45 दिन तक नामान्तकरण निर्णीत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को था। इस कारण अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रकरण में सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णीत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, जो न्यायहित में उचित है। सम्भागीय आयुक्त द्वारा बिना आधार के उक्त अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया। अतः सम्भागीय आयुक्त का आदेश विधि के विपरीत हो कर निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में 2002 RRD 338 & 2001 RBJ 174 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

20/12/11

21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान

...D BY

5– केवियटकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल का तर्क है कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति के मृतक खातेदार की विरासत का है और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होने से पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। अतः अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष पुत्रियों द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई योग्य ही नहीं थी और इस कारण अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को सम्भागीय आयुक्त द्वारा उचित ही निरस्त किया गया है। तहसीलदार द्वारा मृतक खातेदार की विधवा व पुत्रों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। पुत्रियों के अलावा किसी भी विधिक वारिस को उक्त नामान्तकरण से अलग नहीं रखा गया है, अतः नामान्तकरण संख्या 196 सही और अनुसूचित जनजाति समुदाय में प्रचलित प्रथा अनुसार होने से उसे बहाल करने का आदेश पारित कर सम्भागीय आयुक्त द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है, अतः हस्तगत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में 2007 RBJ 114, 2002 RRD 31 & 1966 RRD 71 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

6– निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्यों व दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया।

7– यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बहस के बाद प्रकरण को निर्णयार्थ सुरक्षित करने के बाद दिनांक 25–11–2011 को प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित एक अन्य पत्रावली सख्या निगरानी/एलआर/ 7749/ 2011/ जिला भरतपुर राजस्व मण्डल में जेरकार है और उक्त निगरानी अन्य पीठ द्वारा एडमिट कर ली गयी है, अतः दोनों निगरानियां एक ही आलोच्य आदेश के विरुद्ध होने से दोनों को समेकित किया जाना न्यायोचित है, ताकि विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके। हमने उक्त पत्रावली को अनुभाग से मंगवा कर अवलोकन किया गया। सही है कि

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11
निबन्धक

उक्त निगरानी संख्या 7749 / 2011 में भी वर्तमान आलोच्य आदेश के विरूद्ध ही वर्तमान तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उक्त निगरानी में मण्डल की ही अन्य पीठ द्वारा दिनांक 24–11–2011 को एकरफा सुनवाई करते हुये निगरानी को सुनवाई हेतु ग्राह्य (admit) किया गया है। उक्त निगरानी संख्या 7749 / 2011 व आदेश दिनांक 24–11–2011 की छाया प्रतियां प्राप्त कर हस्तगत पत्रावली में सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गयी। उक्त निगरानी संख्या 7749 / 2011 में एकतरफा बहस केवल एडमिशन के बिन्दु पर ही सुनी गयी है और निगरानी को सुनवाई हेतु ग्राह्य करते हुये वादग्रस्त भूमि की मौके की स्थिति को मण्डल में नियत आगामी तारीख तक यथावत रखने के आदेश दिये गये हैं। चूंकि हमारे सामने विचाराधीन निगरानी में अप्रार्थी संख्या 1 ममता, जो कि मृतक खातेदार श्रीचन्द के स्वर्गीय पुत्र चतरसिंह की विधवा है, जरिये केवियट उपस्थित हो चुकी है और हमने प्रकरण के गुणावगुण पर बहस सुन ली है, अतः हम उचित समझते हैं कि गुणावुगण के आधार पर निगरानी का अन्तिम निर्णय किया जावे।

8— प्रकरण में दौराने बहस यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकृत है कि मृतक खातेदार श्रीचन्द जाति से मीणा होकर अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। यह भी निर्विववाद है कि मृतक खातेदार श्रीचन्द के चार पुत्र कमशः गिर्राजसिंह (अप्रार्थी संख्या 3), समन्दरसिंह (अप्रार्थी संख्या 4), अतरसिंह (अप्रार्थी संख्या 5) व चतरसिंह थे। श्रीमती भौंरी मृतक श्रीचन्द की बेवा पत्नी थी। तहसीलदार बैर द्वारा नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26–10–94 चारों पुत्रों व बेवा श्रीमती भौंरी के नाम स्वीकृत किया गया था। यह भी सर्वथा स्वीकृत तथ्य है कि अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील संख्या 10 / 09 प्रस्तुत होने तक मृतक खातेदार श्रीचन्द की बेवा श्रीमती भौंरी का निधन हो चुका था और वर्तमान पक्षकारान ही उसके वारिसान हैं। एक पुत्र चतरसिंह का निधन हो गया था और वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 ममता व 2 कुमकुम कमशः उसकी बेवा पत्नी व नाबालिग पुत्री हैं। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि श्रीमती रतनी (प्रार्थिया संख्या 1), श्रीमती रेखा (प्रार्थिया संख्या 2), श्रीमती मुक्ति (अप्रार्थिया

सत्य प्रतिलिपि
21/12/11

संख्या 6) और श्रीमती चतरा (अप्रार्थिया संख्या 7) मृतक श्रीचन्द की पुत्रियां हैं।

9– विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 03–08–2010 का आधार इस निष्कर्ष को बनाया गया है कि **"मृतक के पत्नी व पुत्रों के नाम नामान्तकरण भर कर प्रस्तुत करना व पुत्रियों की बाबत कोई जांच न किये जाने से अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत एवं नियमों के अन्तर्गत उचित नहीं रहता है। अस्तु अपील स्वीकार कर मृतक के वारिसान की जांच कर उचित निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित पाते है।"** जबकि सम्भागीय आयुक्त ने अपना आलोच्य आदेश दिनांक 13–9–2011 जारी करने से पूर्व प्रकरण का परीक्षण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की रोशनी में किया है और यह पाया है कि अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को हकदार नहीं माना गया है और पुत्रियों के अलावा सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। इस आधार पर अपील स्वीकार करते हुये अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है और तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण को बहाल रखा गया है।

10.– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निगरानी अधीन निर्णयों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हस्तगत निगरानी के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि **क्या मृतक खातेदार श्रीचन्द की चारों पुत्रियां अपने पिता की वादग्रस्त भूमि में हक रखती हैं** और क्या तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26–10–1994 स्वीकृत करने से पूर्व उक्त चारों पुत्रियों को भी सुना जाना चाहिये था? इसी बिन्दु से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न यह है कि **क्या मृतक** की पुत्रियों को नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26–10–94 के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार **(locus)** था?

11– हस्तगत प्रकरण मीणा अर्थात अनुसूचित जनजाति के मृतक खातेदार श्रीचन्द की प्रतिलिपि रासत का होने से सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,

है कि क्या यह विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से प्रशासित होती है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 निम्न प्रकार है:–

2. Application of Act.- *(1) This Act applies-*

(a) to any person, who is Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj;

(b) to any person who is Budhist, Jaina or Sikh by religion; and

(c) to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करके उसे लागू नहीं कर दिया जाता है। और यह विवाद रहित है कि आदिनांक ऐसी कोई अधिसूचना लागू नहीं की गयी है। पिता की सम्पति में पुत्रियों को हक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा ही दिये गये हैं। अनुसूचित जन जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होने से विरासत पुराने हिन्दु कानून से ही प्रशासित होगी जो कि उक्त अधिनियम, 1956 लागू होने से पूर्व प्रचलित था। पूर्व में प्रचलित हिन्दु कानून अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय में सदियों से चली आ रही प्रथा अनुसार पिता की सम्पत्ति में शादीसुदा पुत्रियों को हक नहीं दिया गया है और इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्तों की एक लम्बी श्रृंखला है।

(1) न्यायिक दृष्दान्त 1988 RRD 61 में 1966 आरआरडी 71 का अनुसरण करते हुये अभिनिर्धारित सिद्धान्त निम्न प्रकार है:–
Rajasthan Tenancy Act, Section 40 read with Section 2(2) of Hindu Succession Act- Till issue of notification

सत्य प्रति लिपि
21/12/11
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

contemplated in Section 2(2) of Hindu Succession Act, Scheduled Tribes will, in the matter of succession, continue to be governed by old Hindu Law or their own customary law as the case may be.

(2) न्यायिक दृष्दान्त 2002 RRD 31 का सारांश निम्न प्रकार है:–
Rajasthan Tenancy Act, Sections 88, 188- Hindu Succession Act, 1956, Section (2) – Appeal against order of RAA- Held, some facts are admitted facts that property in dispute was ancestral, Mst. "R" was the wife of khatedar "S" who did not marry after the death of her husband and who had no son but three daughters- All parties are Scheduled Tribe by caste- "S" died before coming into force of the Hindu Succession Act- Succession will take place according to the Old Hindu Law- Mutation No. 18 was rightly attested in the name of Mst. "R" and the daughters are not entitled to succession as per old succession law in case khatedars belonging to Scheduled Tribe/Caste- Order of RAA held legal and justified.

(3) न्यायिक दृष्दान्त 2006 RRD 464 (HC) में गुलाब बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी AIR 1976 SC 2595 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त का अनुसरण करते हुये यही व्यवस्था दी गयी है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते हैं और अनुसूचित जनजाति समुदाय की शादीसुदा पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में कोई हक नहीं मिलता है।

(4) न्यायिक दृष्दान्त 2006 RRD 577 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–
*"राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ (1966 RRD 71) के निर्णय से यह भली भांति स्पष्ट है कि **हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नही होते हैं क्योंकि इन प्रावधानों को मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।**"*

(5) अन्त में 2007(1) RRT 379 = RBJ (14) 2007 page 114 (case of Keshanti (Smt.) & Others v. Ramdas) में दी गयी न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा करना समुचित होगा। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण केशन्ती आदि के पिता बद्री मीणा के देहान्त पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष पटवारी द्वारा विरासतन इन्तकाल मृतक की विधवा पत्नी श्रीमती पूनी, उसकी तीन पुत्रियों केशन्ती आदि और दत्तक पुत्र रामदास के नाम भर कर पेश किया जिसे ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय द्वारा मृतक की विधवा और दत्तक पुत्र रामदास के नाम स्वीकार किया। पुत्रियों केशन्ती आदि के नाम स्वीकार नहीं किया। पुत्रियों केशन्ती आदि द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड हुआ। तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के

सत्य प्रतिलिपि

24/12/11

COMPARED BY

दौरान विधवा पूनी ने दत्तक पुत्र रामदास
जाने पर सहमति दी और तहसीलदार लक्ष्म
रामदास दत्तक पुत्र बद्री के नाम स्वीकृत किया
सम्भागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर तह
आदेश बहाल रखा गया। प्रकरण राजस्व मण्डल तक अ
राजस्व मण्डल द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की
2 (2) तथा राजस्व मण्डल द्वारा ही पारित निर्णय श्री हंसा बनाम
रतनलाल (2002 आर.आर.सी. पृष्ट 626) में दी गयी व्यवस्था पर
चर्चा करते हुये अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित जनजाति (मीणा
जाति) के खातेदार की मृत्यू के बाद उसके लड़के एवं उसकी
विधवा को अधिकार प्राप्त होते हैं। पुत्रियों को अधिकार नहीं
मिलते हैं।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर यह विधिक स्थिति निर्विवाद है कि अनुसूचित जनजाति के मृतक व्यक्ति की विरासत में पुत्रों व विधवा को तो अधिकार मिलते हैं किन्तु पुत्रियों को अधिकार नहीं मिलता है।

12— निगरानी कर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2002 RRD page 338 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण को निर्णीत करने के बजाय ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना चाहिये था। चूंकि निगरानीकर्ता द्वारा यह बिन्दु न तो अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील में उठाया और न ही द्वितीय अपील के दौरान सम्भागीय आयुक्त के समक्ष उठाया गया था और ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का अर्थ तहसीलदार का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाना नहीं है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 26—10—1994 और सम्भागीय आयुक्त का आदेश दिनांक 13—9—2011 विधिक दृष्टि से उचित है, अतः विधि सम्मत आदेशों में निगरानी के स्तर पर केवल तकनीकी तर्क के आधार पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरा न्यायिक दृष्टान्त 2001 RBJ page 174 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 80 के तहत प्रस्तुत अपील के प्रकरण बाबत है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड तलब किये बिना एडमिशन के स्तर पर अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रति सम्मान प्रकट करते हुये हमारा मत है कि भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 80 के तहत प्रस्तुत राजस्व अपील के न्यायिक दृष्टान्त को भूराजस्व अधिनियम, 1956

सत्य प्रतिलिपि

21/12/11

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

की धारा 84 के तहत प्रस्तुत निगरानी प्रकरण पर लागू नहीं किया जा सकता है।

13– उपरोक्तानुसार विधिक विवचेना के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि हस्तगत प्रकरण में मृतक श्रीचन्द की विरासत बाबत तहसीलदार बैर द्वारा भरा गया व स्वीकृत नामान्कतण संख्या 196 दिनांक 26–10–1994 विधि अनुसार हैं। मृतक की पुत्रियों द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील और अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर द्वारा उक्त नामान्तकरण को खारिज करते हुये दिया गया प्रतिप्रेषण का आदेश विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अतः सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 03–08–2010 को निरस्त करने व वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 26–10–1994 को बहाल करने बाबत जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 13–09–2011 विधिक दृष्टि से सही है। उसमें ऐसी कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। प्रकरण में ऐसा कोई बिन्दु भी निहित नहीं है कि अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड़ भी तलब किया जाना आवश्यक हो। हस्तगत निगरानी सारहीन होने से एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

14– परिणामतः हस्तगत निगरानी एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य